

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3192

दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 / 26 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयर इंडिया की अप्रयुक्त संपत्तियां

3192. श्री संजय धोत्रे:

डॉ. उदित राज:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार एयर इंडिया की देश-भर में रिक्त और अप्रयुक्त पड़ी संपत्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार एयर इंडिया की कुल अचल संपत्ति कितनी है;

(ख) उक्त संपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु एयर इंडिया द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इससे सृजित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया ने उक्त अवधि के दौरान इस राजस्व का उपयोग ऋण कम करने में किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आज की तिथि के अनुसार एयर इंडिया की कुल ऋण स्थिति क्या है; और

(ङ) एयर इंडिया को ऋण मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ महेश शर्मा)

(क): एअर इंडिया की निम्नलिखित परिसंपत्तियां रिक्त पड़ी हैं:-

1. बुकिंग ऑफिस, चेन्नई, तमिलनाडु की भूमि
2. बुकिंग ऑफिस, कोयंबतूर, तमिलनाडु की भूमि
3. बुकिंग ऑफिस, बेंगलोर, कर्नाटक की भूमि
4. कार्यालय परिसरों, बेंगलोर, कर्नाटक की भूमि
5. हाउसिंग कालोनी, बेंगलोर, कर्नाटक की भूमि
6. हाउसिंग कालोनी त्रिवेन्द्रम, केरल की भूमि
7. स्टाफ क्वार्टर्स त्रिवेन्द्रम, केरल की भूमि
8. स्टाफ क्वार्टर्स, अहमदाबाद, गुजरात की भूमि

9. बुकिंग ऑफिस जामनगर, गुजरात की भूमि
10. बुकिंग ऑफिस राजकोट, गुजरात की भूमि
11. आवसीय भूमि, गुडगांव, हरियाणा

एअर इंडिया की 31 मार्च, 2015 तक कुल स्थाई परिसंपत्ति 34,695 करोड़ रुपए है।

(ख): एअर इंडिया द्वारा इनकी परिसंपत्तियों (रियल इस्टेट) के मुद्रीकरण के प्रयास किए गए हैं। मुद्रीकरण के प्रयास को प्रारंभ करने के लिए एअर इंडिया द्वारा वैश्विक निविदा प्रक्रिया द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति परामर्शदाता मैसर्स डीटीजेड नियुक्त किया गया है। एक निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज, सेवानिवृत्त सीवीसी एवं पूर्व-लेखा महापरीक्षक एवं नियंत्रक, शामिल हैं जो निम्न परामर्श तथा निगरानी करेंगे- (i) एअर इंडिया के स्वामित्व/ किराए वाली अचल संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, (ii) इस प्रकार की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को अधिकतम करने की प्रक्रिया, (iii) इस प्रकार के मुद्रीकरण से उपार्जित राजस्व के लिए प्रक्रिया को अपनाना।

(ग) जी नहीं।

(घ): बिक्री से प्राप्त राशि में से एअर इंडिया द्वारा किसी भी ऋण का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि आज तक एअर इंडिया की कोई संपत्ति बेची नहीं गई है। दिनांक 31.3.2015 तक एअर इंडिया का कुल ऋण 49,562 करोड़ रुपए हैं।

(ङ): आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 12.04.2012 को हुई अपनी बैठक में एअर इंडिया के प्रचालनिक और वित्तीय कायाकल्प के लिए कायाकल्प योजना (टीएपी)/वित्तीय पुनरसंरचना योजना (एफआरपी) का अनुमोदन किया है। टीएपी/एफआरपी में निर्धारित किए अनुसार कतिपय उपलब्धियों को प्राप्त करने के अध्यक्षीन निवेश में वर्ष 2021 तक 30231 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करने का प्रावधान है। निम्नलिखित के लिए इक्विटी इंडकशन प्रदान किया गया है :

- (i) वित्त वर्ष 2011-12 में 6750 करोड़ रुपए की अग्रिम इक्विटी
 - (ii) वित्त वर्ष 2017-18 तक 4,552 करोड़ रुपए की नकद घाटा सहायता के लिए इक्विटी
 - (iii) वित्त वर्ष 2021 तक मंजूर किए गए विमान ऋण के लिए इक्विटी 18,929 करोड़ रुपए
- भारत सरकार की गारंटीयुक्त गैर- परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के लिए ब्याज के प्रति 11,951 करोड़ और मूल धन के प्रति 7400 करोड़ रुपए

आज की तिथि तक, टीएपी/एफआरपी के अंतर्गत एअर इंडिया को 22,280 करोड़ रुपए की एक्विटी जारी की गई है।